

## बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
भू-अर्जन निदेशालय  
बिहार, पटना

### अधिघोषणा

तारीख.../.../2012

सं०.....

आर०

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव- दरियाबाद थाना- 199, परगना-सीरिस थाना- बारुण जिला- औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है इसलिए, इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव- दरियाबाद के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो 2.25 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

अधिकृत खेसरा सं० -

पूर्ण - 216, 221, 283, 285, 307

अंश - 31, 289,

उत्तर :- 215, 217, 282, 279, 283, 284, 286 बांध

पूरब :- 31, 214, 210, 215, 284, 287, 290, 306

दक्षिण :- 29, 30, 210, 211, 209, 222, 285, 286, 287, 288, 308

पश्चिम :- 25, 26, 217, 221, 220, 281, 284

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले लिए जायेंगे यह घोषणा अधिनियम 1894 की धारा 6 और अधिनियम 1894 की धारा 3 के खंड (1) के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो।


भूमि का नक्शा भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

15/5  
समाहर्ता  
औरंगाबाद

विद्या राजपाल के आदेश से  
रुद्रकार के अंतर्गत लिख

ज्ञाप सं० - 14/डी०एल०ए० (एन०पी०जी०सी०) औरंगाबाद- 127/13 - 1 पटना, दिनांक- 13/8/13

- प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां में सी० डी० के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, औरंगाबाद को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू-अर्जन कार्यालय, औरंगाबाद को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 3. समाहर्ता, /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि 4. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 5. जिला अवर निबंधक, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि 6. आई०टी०, मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

  
13/8/13  
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)  
सरकार के अवर सचिव।